



# JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

## Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1<sup>st</sup> Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

Ref. No. - BR2PS/B&H/110/06/2662

Date: 18.10.2021

### Office Order

#### Increment of DA from 17% to 28% to Bihar Govt. Servants on deputation to Jeevika.

Vide Finance Department Resolution No. 3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-6598/वि०, dated 27.09.2021, the Govt. of Bihar has allowed 28% dearness allowance in place of 17%, which is effective from 01.07.2021.

State Government Officials who are on deputation to BRLPS are entitled to increased dearness allowance since 01.07.2021 as per above mentioned Govt. of Bihar (Finance Department) Resolution.

It is, accordingly directed that increased DA@28% of the basic be paid to such employees, as per Finance Department Resolution No. 3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-6598/वि०, dated 27.09.2021.

By the order of CEO

  
(Braj Kishore Pathak)

Officer on Special Duty

Copy to: "

1. AO/CFO
2. DPM-Livestock (SPMU)
3. SPM-HRD
4. IT Section
5. Concerned File

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: \_\_\_\_\_/2021

विषय:- दिनांक-01.07.2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत के माह जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाये राशि का एकमुश्त भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5421, दिनांक-19.08.2021 तथा संकल्प सं०-5422, दिनांक-19.08.2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह सितम्बर, 2021 के वेतन/पेंशन में जोड़कर किये जाने तथा इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2021 में एवं माह अगस्त, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2021 में किए जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य सरकार में दिनांक-01.04.2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों/पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के वेतन/पेंशन का भुगतान किया जाता है। समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के अन्तर्गत बकाये राशि की गणना सिस्टम द्वारा स्वयमेव एकमुश्त की जाती है। फलतः संदर्भित संकल्प के आलोक में माह, जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाया महंगाई भत्ता/राहत के समेकित विपत्र का भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में ही किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01.07.2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत के माह जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाये राशि का एकमुश्त भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०-5421, दिनांक-19.08.2021 एवं संकल्प सं०-5422, दिनांक-19.08.2021 को इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।



ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08 / 2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08 / 2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08 / 2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08 / 2013-----/वि० पटना, दिनांक:-----

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ

इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-6598/वि० पटना, दिनांक:-27-09-2021  
 प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।